संख्या 49/2017/316/ सात-न्याय -9(बजट)-2018 -837/93

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषय- मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन नवीन भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-17/2017/231/सात-न्याय-9(बजट)-2017-837/93, दिनांक 16 फरवरी ,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन नवीन भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ पुनरीक्षित आगणन रू01154126.45 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। अबतक विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0142102.07 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में वरिष्ठ निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के पत्र सं0-2257/2018 दिनांक 23-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन नवीन भवन के निर्माण कार्य की गति को बनायें रखने के लिए पुनरीक्षित आगणन के आधार पर पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 146420.13 लाख के सापेक्ष **रू04318.06 लाख (रूपये तैंतालीस करोड़ अटठारह लाख छः हजार मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, द्वारा कराया जा रहा है, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊपीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है ।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 सितम्बर,2017 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (भवन) की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हेतु तथा आई0पी0 टेलीफोनी, डाटा नेटवर्किंग, साउण्ड सिस्टम, फर्नीचर एवं आडियो वीडियों के कार्य का कास्ट अप्रेजल एवं तकनीकी अप्रेजल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- शासनादेश सं0-17/2017/231/सात-न्याय-9(बजट)-2017-837/93, दिनांक 16 फरवरी ,2017 के प्रस्तर-2(5) को छोड़कर उक्त शासनादेश में आरोपित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत के सापेक्ष अन्तिम 5 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति के पूर्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 सितम्बर,2017 द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कराये गये समस्त कार्य स्वीकृत/ अनुमोदित आगणन के आधार पर कराये गये है तथा निर्माण कार्य हेतु किया गया भुगतान सक्षम अथारिटी द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया है।

6- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - 01-कार्यालय भवन - 051-निर्माण- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0110-मा0 उच्च न्यायालय के इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिए नये भवनो का निर्माण -24- वृहत निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संं0- 49/2017 /316(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- ओ0एस0डी0 अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ (मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के माध्यम से)।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
8- महाप्रबन्धक, (कन्सल्टेंसी) उ0प्र0 रा0नि0नि0 लि0, लखनऊ ।
9- वित्त ई- 12 ।
10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।